संख्या:-614/एक-10-2024

116

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः26 जुलाई, 2024

विषयः उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर इण्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-1309/का0अनु0/2023-24, दिनांक 21.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर इण्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को **धनराशि रू0 6,00,000/- (छः लाख मात्र)** का बजट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषयों पर इण्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से **धनराशि रू0 6,00,000/- (छः लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

**3-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 6,00,000/- **(छः लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

Signed by
Ram Kewal
Date: 26-07-2024 18:06:01

(राम केवल)
विशेष सचिव

<u>संख्याः-614(1)/एक-10-2024, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2024-2025**
**आवंटन दिनांक-30/07/2024**

**प्रेषण संख्या:-** 614
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-614
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 42-अन्य व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a | वर्तमान<br>प्रगामी | 600000<br>329128912 | 600000<br>329128912 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 600000<br>329128912 | 600000<br>329128912 |

**महायोग**- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख
**महायोग**- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस करोड़ इकानवे लाख अठाईस हजार नौ सौ बारह

(संतोष कुमार)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन